भारत संघ रक्षा मंत्रालय के सचिव द्वारा

बनाम

रबिंदर सिंह

(सिविल अपील संख्या 7241/2002)

सितम्बर 29, 2011

(जे.एम. पांचाल एवं एच.एल. गोखले न्या.)

सेना अधिनियम, 1950- धारा 52(एफ)- प्रत्यर्थी भारतीय सेना में 6 बख्तरबंद रेजिमेंट का एक कमांडिंग ऑफिसर थाए आरोप है कि वह कुछ वाहनों के परिवर्तन के आदेश की कार्यवाही करते हुए अलग-अलग दावों को प्राथमिकता देकर कुछ बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित किया, दावा किया और दावा राशि प्राप्त की, हालांकि एक भी वाहन को परिवर्तित नहीं किया गया और ना ही परिवर्तन के लिए आवश्यक कोई भी वस्तु खरीदी गई - जनरल कोर्ट मार्शल ने उन्हें दोषी पाया और एक वर्ष के लिए कठोर कारावास (आर.आई.) तथा बर्खास्तगी की सजा दी - प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका जो कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गयी लेकिन डिवीजन बेंच द्वारा अपील की अनुमति दी गयी - अपील में अभिनिर्धारित- डिवीजन बेंच ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि इस प्रतिहस्ताक्षर के कारण प्रत्यर्थी द्वारा कुछ खरीद के लिए 77,692/- रुपये की राशि आहरित की गई जो न तो अधिकृत थी और न ही प्रभावी थी -

सेना को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा - जिस उद्देश्य के लिए राशि मांगे जाने का दावा किया गया था उसके लिए राशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया - यह छल और क्षति थी - धारा 52 (एफ) लागू होगी क्योंकि प्रत्यर्थी ने कपट वंचन के आशय से कार्य किया था - ऐसे कृत्यों में लिप्त किसी भी अधिकारी को अब सेना की सेवाओं में बरकरार नहीं रखा जा सकता है और जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा पारित आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है एकल न्यायाधीश ने जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने से उचित रूप से इनकार कर दिया। डिवीजन बेंच ने अपनी अपीलीय शक्ति का प्रयोग करने में स्पष्ट रूप से गलती की है जबकि इसका प्रयोग करने का कोई अवसर या कारण नहीं था - सेना नियम, 1954- आरआर-30(4) और 42(बी)। सेना अधिनियम 1950- धारा 52 (एफ) - दोनों भागों के - निर्वचन का - अभिनिर्धारण; धारा 52 (एफ) के दोनों भाग विच्छेदात्मक हैं जिसे इस तथ्य से भी देखा जा सकता है कि इस उप-धारा के दो हिस्सों के बीच एक अल्पविराम और संयोजन 'या' है अर्थात (i) कपट वंचन करने के आशय से कोई अन्य कार्य करता है और (ii) एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाता है - यदि विधायिका चाहती कि इन दोनों भागों को एक साथ पढ़ा जाए तो उसके द्वारा 'और' संयोजन का प्रयोग किया गया होता।

प्रथम प्रत्यर्थी को 6 बख्तरबंद रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया था। यूनिट को एक सिग्नल विशेष वाहन के लिए

अधिकृत किया गया था। यदि ऐसा कोई वाहन इकाई के पास नहीं था तो उसे तदर्थ विशेष वित्त के साथ एक वाहन का स्वरूप परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया गया था जिसके लिए यह राशि का दावा करने के लिए अधिकृत था।

अपीलकर्ता का मामला है कि प्रत्यर्थी ने दो भागों में लगभग 65 वाहनों के परिवर्तन का आदेश दिया, पहले 43 और उसके बाद 22। उसने बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर किए और चार अलग अलग दावों को प्राथमिकता देकर हालांकि एक भी वाहन परिवर्तित नहीं हुआ 77,692/- रुपये की राशि का दावा किया और प्राप्त किया - परिवर्तन के लिए आवश्यक ऐसी कोई वस्तु नहीं खरीदी गयी थी, लेकिन फर्जी दस्तावेज और पूर्व रसीद वाले बिल खरीदे गए थे और फिर भी चैक के प्रतिपर्ण में कुछ विक्रेताओं के नाम दिखाए गए थे, उक्त राशि प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं द्वारा आहरित की गई थी।

इसके परिणामस्वरूप साक्ष्य एकत्र करने और रिपोर्ट बनाने के लिए जांच न्यायालय नियुक्त किया गया जांच के निष्कर्ष में प्रत्यर्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके बाद, प्रत्यर्थी के खिलाफ मामले को जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा सुनवाई के लिए भेज दिया गया। जनरल कोर्ट मार्शल ने उन्हें दोषी पाया और एक वर्ष के कठोर कारावास (आर.आई.) तथा बर्खास्तगी की सजा दी। प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट

याचिका उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गयीए लेकिन डिवीजन बेंच द्वारा अपील की अनुमति दी गयी।

अपील की अनुमति, न्यायालय

अभिनिर्धारितः 1.1 डिवीजन बेंच ने माना कि पहले प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाया गया एकमा- आरोप यह था कि उसने वाहनों के स्वरूप परिवर्तन की लागत का दावा करने के लिए समाश्रित बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसके खिलाफ सदोष अभिलाभ का कोई आरोप नहीं था। हालाँकि डिवीजन बेंच ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि इस प्रतिहस्ताक्षर के कारण प्रत्यर्थी द्वारा कुछ खरीद के लिए 77,692/- रुपये की राशि आहरित की गई जो न तो अधिकृत थी और न ही प्रभावी थी। प्रत्यर्थी के समाश्रित बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करने का तथ्य कभी विवाद में नहीं रहा। अपीलकर्ता ने सेना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई जांच के दौरान आरोपों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर रखे। जांच कार्यवाही के अभिलेखों से पता चला कि इन राशियों का भुगतान कुछ दुकानों को किया जाना चाहिए थाए लेकिन वास्तव में ऐसी कोई खरीद नहीं हुई थी। प्रत्यर्थी ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका जिसे स्वीकार किया जा सके। डिवीजन बेंच ने अभिलेख पर मौजूद इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज करके स्पष्ट रूप

से गलती की है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सेना को सदोष हानि हुई। [Para 14] [804-F-H; 805-A-B]

1.2 आरोपों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रत्यर्थी ने यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उसकी रेजिमेंट इस तरह के अनुदान का दावा करने के लिए अधिकृत नहीं थी, समाश्रित बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करके शुरू में 43 वाहनों के लिए और बाद में 22 वाहनों के लिए अग्रिम दावा किया। इस प्रकार आरोप बहुत स्पष्ट हैं और प्रत्यर्थी किसी भी तरह से नियम 30(4) और नियम 42(बी) का लाभ नहीं उठा सकता है। सेना ने यह साबित करने के लिए अतिरिक्त सबूत पेश किए थे कि यह राशि कुछ दुकानों को दी गई थीए लेकिन वास्तव में आवश्यक खरीद नहीं की गई थी। सेना को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि कुछ खरीद के लिए एक राशि खर्च की गयी थी, जबकि उक्त खरीद अधिकृत नहीं थी। इसके अलावा यह पाया गया कि जो व्यय आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाना था, वास्तव में उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया। अभिलेख पर प्रस्तुत किये गए सबूत इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं कि यह धोखा और क्षति थी। यह स्पष्ट था कि अधिनियम की धारा 52 (एफ) लागू होगी, क्योंकि प्रत्यर्थी ने कपट वंचन करने के आशय से कार्य किया था। [Para 16, 17] [806-C-E; 807-B-D]

1.3 धारा 52 (एफ) के दोनों भाग विच्छेदात्मक हैं जिसे इस तथ्य से भी देखा जा सकता है कि इस उपधारा के दो हिस्सों के बीच एक अल्पविराम और संयोजन 'या है अर्थात (i) कपट वंचन करने के आशय से कोई अन्य कार्य करता है और (ii) एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाता है। यदि विधायिका चाहती कि इन दोनों भागों को एक साथ पढ़ा जाए तो उसके द्वारा 'और' संयोजन का प्रयोग किया गया होता। अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थीगण पर 'कपट वंचन के आशय से' कार्य करने का आरोप लगाया था और इसलिए अपीलकर्ताओं के लिए आरोप में धारा 52 (एफ) के दूसरे भाग का उल्लेख करना आवश्यक नहीं था। [Para 17] [806-E-H]

1.4 प्रत्यर्थी के पास बचाव का पूरा अवसर था। सेना अधिनियम के अनुसार विभिन्न स्तरों पर सभी प्रक्रियाओं और चरणों का पालन किया गया और उसके बाद ही प्रत्यर्थी को बर्खास्त किया गया और एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। गलत इरादे का कोई आरोप नहीं था, यह मानते हुए कि आरोपों में प्रत्यर्थी को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आरोप को विर्निदिष्ट रूप से खारिज नहीं किया गया था, आरोपी ने 'कपट वंचन करने के आश'

लिए बचाव किया। उसने कार्यवाही में पूरी तरह से भाग लिया और किसी भी प्रक्रियात्मक प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआए जिससे उसके प्रति प्रि-ज्यूडिस कारित हुआ हो। न्यायालयों से ऐसी स्थितियों में हस्तक्षेप की

उम्मीद नहीं की जाती है। सशस्त्र बल अपनी ईमानदारी और प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से ईमानदार और चरित्रवान होने की अपेक्षा की जाती है। जब किसी वरिष्ठ अधिकारी पर ऐसा कोई आरोप साबित होता है तो सेना की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता है इसलिए ऐसे कृत्यों में लिप्त किसी भी अधिकारी को अब सेना की सेवाओं में बरकरार नहीं रखा जा सकता है और जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा पारित आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। [Para 18] [808-A-D]

1.5 एकल न्यायाधीश आदेश पारित करने में सही थे जिसके तहत उन्होंने जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। डिवीजन बेंच के पास अंतर न्यायालय अपील में उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। एकल न्यायाधीश का आदेश किसी भी तरह से कानून के विपरीत या विकृत नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर डिवीजन बेंच ने अपनी अपीलीय शक्ति का प्रयोग करने में स्पष्ट रूप से गलती की है जबकि इसका प्रयोग करने का कोई अवसर या कारण नहीं था। इन परिस्थितियों में, डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हैं। नतीजतन प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की जाती है। [Para 19, 20] [808-E-G]

डाॅ. विमला बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1963 SC 1572: 1963 Suppl. SCR 585 and मेजर जी.एस. सोढी बनाम भारत संघ 1991 (2) SCC 382- पर आश्रित।

एस. हरनाम सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) AIR 1976 SC 2140- निर्दिष्ट।

Case Law Reference:

AIR 1976 SC 2140	निर्दिष्ट	Paras 15, 17
1963 Suppl. SCR 585	पर आश्रित	Para 16
1991 (2) SCC 382	पर आश्रित	Para 18

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 7241/2002।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (चंडीगढ़) द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 955-ए में लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 996/1989 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.07.2001 से उत्पन्न।

अपीलकर्ता पराग पी. त्रिपाठी, एएसजी, आर. बालासुब्रमण्यम, अमेय नरगोलकर, महिमा गुप्ता, बी.वी. बलराम दास।

सिरज बग्गा (सुरेष्ठा बग्गा के लिए) प्रत्यर्थी।

न्यायालय का निर्णय दिया गया द्वारा:

एच.एल. गोखले जे. 1. रक्षा मंत्रालय के सचिव के माध्यम से भारत संघ द्वारा इस अपील से एलपीए क्रमांक 996 दिनांक 02.07.2001 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित फैसले और आदेश को चुनौती देती है। जहां कि डिवीजन बेंच ने सीडब्ल्यूपी नंबर 995/1989 में उस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 31.05.1991 को दिए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रथम प्रत्यर्थी को अपील दायर करने की अनुमति दी हैए जिसमें प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया।

2. डिवीजन बेंच ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी की उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया है और 24.06.1987 से 01.10.1987 के दौरान आयोजित जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही, निष्कर्ष और सजा को रद्द कर दिया है जिसके द्वारा उसे एक वर्ष के कठोर कारावास (आर.आई.) और बर्खास्तगी की सजा दी गई थी।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं-

3. प्रथम प्रत्यर्थी को दिनांक 01.02.1984 और 03.10.1986 के बीच 6 बख्तरबंद रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया था जो भारतीय सेना में प्रासंगिक समय पर एक नई वृद्धि थी। यूनिट को एक सिग्नल विशेष वाहन के लिए अधिकृत किया गया था। यदि ऐसा कोई वाहन इकाई के पास नहीं था तो उसे तदर्थ विशेष वित्त के साथ एक वाहन

को स्वरूप परिवर्तन का 75% करने के लिए अधिकृत किया गया थाए जिसके लिए उसे शुरुआत में 950 रुपये का दावा करने और स्वरूप परिवर्तन कार्य पूरा होने पर शेष राशि का दावा करने के लिए अधिकृत किया गया था।

4. अपीलकर्ता का मामला यह है कि यूनिट ने एक वाहन के परिवर्तन के लिए 75% राशि (पुरानी दरों के अनुसार 450 रुपये) का दावा भेजा था लेकिन प्राधिकारियो द्वारा उसे उचित दस्तावेजोें के अभाव में वापस कर दिया गया था। फिर भी प्रत्यर्थी ने दो भागों में लगभग 65 वाहनों के स्वरूप स्वरूप परिवर्तन का आदेश दिया जिसमें पहले 43 और उसके बाद 22 थे। उसने बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर किए और चार अलग अलग दावों को प्राथमिकता देकर हालांकि एक भी वाहन स्वरूप परिवर्तन नहीं हुआ, 77,692/- रुपये की राशि का दावा किया और प्राप्त की। अपीलकर्ता का मामला यह है कि एक भी वाहन को स्वरूप परिवर्तित नहीं किया गया पैसा अलग रखा गया था और व्यय को प्रत्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से वहन किया गया था। स्वरूप परिवर्तन के लिए आवश्यक ऐसी कोई वस्तु नहीं खरीदी गई थी, लेकिन फर्जी दस्तावेज और पूर्व रसीद वाले बिल खरीदे गए थे। हालाँकि चेक के प्रतिपर्ण में कुछ विक्रेताओं के नाम दिखाए गए थे लेकिन राशि प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं आहरित की गई थी। जब वार्षिक स्टॉक निकाला गया तो भण्डार प्राप्त न होना तथा फर्जी दस्तावेजीकरण होना अभिलेखों में दर्ज पाया गया।

5. (i) इसके परिणामस्वरूप साक्ष्य एकत्र करने और सेना अधिनियम 1950 की धारा 191 के तहत बनाए गए सेना नियम 1954 के नियम 177 के तहत एक रिपोर्ट बनाने के लिए दिनांक 13.10.1986 को जांच न्यायालय नियुक्त किया गया। जांच के निष्कर्ष में अपीलकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

(ii) इसके बाद सेना नियमों के नियम 23 के तहत साक्ष्य का सारांश दर्ज किया गया जिसमें प्रत्यर्थी ने विधिवत भाग लिया। अभियोजन पक्ष के समर्थन में लगभग 15 गवाहों से पूछताछ की गई और प्रत्यर्थी ने उनका प्रतिपरीक्षण किया। उसे बचाव में बयान देने का मौका दिया गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया।

6. इसके बाद प्रत्यर्थी के खिलाफ मामले को जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा सुनवाई के लिए भेज दिया गया जो सेना अधिनियम के अध्याय x के प्रावधानों के अनुसार संचालित किया गया। प्रत्यर्थी पर चार आरोपों के लिए मुकदमा चलाया गया। वे इस प्रकार थे :-

"आरोपी, आईसी16714 के मेजर देयोल रबिंदर सिंह, एसएमए 6 बख्तरबंद रेजिमेंट, संलग्न मुख्यालय 6(1) बख्तरबंद ब्रिगेड, नियमित सेना में स्थायी कमीशन रखने वाले एक अधिकारी पर आरोप लगाया गया है:-

(1) ऐसा अपराध जो सेना अधिनियम की धारा 52 के खंड एफ में वर्णित है।

(2) कपट वंचन के आशय से जब उसे दिनांक 25 जून 1984 को क्षेत्र में 6 बख्तरबंद रेजिमेंट की कमान संभालते हुए केवल एक ट्रक एक टन 4x4 जीएस एफएफआर के संबंध में स्वरूप परिवर्तित अनुदान 950 रुपये के दावा स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया था तब उसने कपट वंचन के आशय से 43 वाहनों के स्वरूप परिवर्तन की लागत की 75% की अग्रिम राशि का दावा करने के लिए 31692/- रुपये के एक समाश्रित बिल संख्या 1096/एलपी/6/टीएस दिनांक 25 जूनए 1984 को जो 31650/- रुपये के लिए पास किया गया थाए पर यह जानते हुए भी कि रेजिमेंट सभी प्रकार के वाहनों के संबंध में इस तरह के अनुदान का दावा करने के लिए अधिकृत नहीं थी, को प्रतिहस्ताक्षरित किया।

सेना अधिनियम की धारा 52 के खंड (एफ) में उल्लेखित कपट वंचन के आशय से किया गया ऐसा अपराध, जिसमें उसने 05 मार्च 1985 को 6 बख्तरबंद रेजिमेंट की कमान संभालते समय कपट वंचन के आशय से एक समाश्रित बिल नंबर 1965/यूएलपीजी/85/टीएस दिनांक 05 मार्च 1985 को 20962.50 रुपये में 22 वाहनों के परिवर्तन की लागत की 75% राशि का दावा करने के लिए यह अच्छी तरह से जानते हुए कि रेजिमेंट सभी प्रकार के वाहनों के संबंध में इस तरह के अनुदान का दावा करने के लिए अधिकृत नहीं थी, पर प्रतिहस्ताक्षर किया था।

सेना अधिनियम की धारा 52 के खंड (एफ) में उल्लेखित कपट वंचन के आशय से किया गया ऐसा अपराध जिसमें उसने 09 फरवरी 1985 को 6 बख्तरबंद रेजिमेंट की कमान संभालते समय कपट वंचन के आशय से एक अंतिम समाश्रित बिल नंबर क्रमांक 1965/एलपी/02/टीएस दिनांक 09 फरवरी 1985 कोए 18150/- रुपये जिसे 18149.98 रुपये में पास किया गया था, को वाहनों के स्वरूप परिवर्तन की लागत की बकाया राशि का दावा करने के लिए, पर यह जानते हुए भी कि रेजिमेंट सभी प्रकार के वाहनों के संबंध में इस तरह के अनुदान का दावा करने के लिए अधिकृत नहीं थी, को प्रतिहस्ताक्षरित किया गया ।

सेना अधिनियम की धारा 52 के खंड (एफ) में उल्लेखित कपट वंचन के आशय से किया गया ऐसा अपराध जिसमें उसने 09 सितंबर 1985 को 6 बख्तरबंद रेजिमेंट की कमान संभालते समय कपट वंचन के आशय से एक अंतिम समाश्रित बिल क्रमांक 1965/एलपी/04/टीएस दिनांक 09 सितंबर 1985 को 6987.50 रुपये में वाहनों के स्वरूप परिवर्तन की लागत की बकाया राशि का दावा करने के लिए यह अच्छी तरह से जानते हुए कि रेजिमेंट सभी प्रकार के वाहनों के संबंध में इस तरह के अनुदान का दावा करने के लिए अधिकृत नहीं थी, पर प्रतिहस्ताक्षर किया था।

7. जनरल कोर्ट मार्शल ने उसे उन सभी चार आरोपों में दोषी पाया और एक वर्ष के कठोर कारावास और बर्खास्तगी की सजा दी। कार्यवाही की गहन समीक्षा डिप्टी जज एडवोकेट जनरल मुख्यालय पश्चिमी कमान द्वारा की गई जिन्होंने उस पर वैधानिक रिपोर्ट बनाई। सेना अधिनियम की धारा 153 और 154 के संदर्भ में दिनांक 20.06.1988 को पुष्टिकरण प्राधिकारी द्वारा इन कार्यवाहियों की पुष्टि की गई थी । प्रत्यर्थी ने सेना अधिनियम की धारा 164 के तहत एक पोस्ट कन्फर्मेशन याचिका दायर की जिसे सेना प्रमुख ने खारिज कर दिया। जिस पर प्रत्यर्थी ने उपरोक्त रिट याचिका दायर कीए जिसे खारिज कर दिया गया था लेकिन अपील को विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान सिविल अपील में ले जाने की अनुमति दी गई थी।

8. हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पराग पी. त्रिपाठी और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान काउंसेल श्री सीराज बग्गा को सुना है।

9. इससे पहले कि हम प्रतिद्वंद्वी काउंसेल की दलीलों से निपटें हमें ध्यान देना होगा कि प्रत्यर्थी पर सेना अधिनियम, 1950 की धारा 52 (एफ) के तहत आरोप लगाया गया था और धारा को विशेष रूप से उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में संदर्भित किया गया था। धारा 52 इस प्रकार है:-

"52. सम्पत्ति के बारे में अपराध- इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में कोई अपराध करेगा-

(क) सरकार की या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सेना मै बैंड या संस्था की या सैनिक नौसैनिक या वायु सैनिक विधि के अध्यधीन के किसी व्यक्ति की किसी सम्पत्ति की चोरी करेगा अथवा

(ख) ऐसी किसी सम्पत्ति का बोईमानी से दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा अथवा

(ग) ऐसी किसी सम्पत्ति के बारे में आपराधिक न्यास-भंग करेगा अथवा

(घ) ऐसी किसी सम्पत्ति को जिसके बारे में खंड (क),(ख) और (ग) के अधीन अपराधों में से कोई अपराध किया गया हैए यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा अपराध हुआ है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखे रखेगा,

(ङ) सरकार की किसी सम्पत्ति को, जो उसे न्यस्त की हुई होए जानबूझकर नष्ट करेगा या उसकी क्षति करेगाए अथवा,

(च) कपट-वंचन करने के एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से कोई अन्य बात करेगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।"

10. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजी श्री त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया कि डिवीजन बेंच ने यह मानने में गलती की कि आरोपों के विवरण में प्रत्यर्थी को सदोष अभिलाभ और सेना को संबंधित हानि शामिल नहीं थाए ना ही यह साबित हुआ था और इसलिए कपट वंचन के आशय से कुछ करने का आरोप निश्चयात्मक रूप से साबित नहीं हुआ था। उनके प्रस्तुतीकरण में उपखंड (एफ) दो भागों में है। दरअसल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने भी माना था कि इस धारा के दो हिस्से हैं। प्रत्यर्थी पर पहले भाग का आरोप लगाया गया था जो कपट वंचन के आशय से कुछ करना है। इसलिए आरोप में उपधारा के दूसरे भाग का उल्लेख करना आवश्यक नहीं था जो 'एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि' के बारे में बताता है।

11. प्रत्यर्थी पर जिस अपराध का आरोप लगाया गया था वह कपट वंचन के आशय से कुछ करना था। प्रत्यर्थी के अनुसार उसके द्वारा किया गया कार्य केवल समाश्रित बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करना था। तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी द्वारा समाश्रित बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करने से सेना को कपट वंचन मिला क्योंकि ऐसी कोई भी खरीद अधिकृत नहीं थी और वास्तव में वाहनों में कोई स्वरूप परिवर्तन नहीं किया गया था। ऐसा होने पर आरोप सिद्ध हो चुका था। प्रत्यर्थी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अपीलकर्ता की ओर से यह ध्यान में लाया गया कि यह मानते हुए कि धारा 52 (एफ) के बाद के भाग का आरोप में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था जिससे प्रत्यर्थी पर कोई प्रि-ज्यूडिस कारित नहीं हुआ। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह से समझा और कार्यवाही में भाग लिया।

12. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान काउंसेल श्री सीराज बग्गा ने तर्क प्रस्तुत किया कि सेना नियमों के नियम 30 (4) और नियम 42 (बी) में अपीलकर्ता पर विशेष रूप से आरोप सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। उनका कहना था कि आरोप विनिर्दिष्टतः नहीं थे और प्रत्यर्थी को उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली और इसलिए उसे कार्यवाही में कष्ट उठाना पड़ा। हम इन नियमों को उद्धृत कर सकते हैं वे इस प्रकार पढ़ते हैं :-

"नियम 30 (4) विवरण में कथित अपराध के संबंध में ऐसी परिस्थितियां बताई जाएंगी जिससे आरोपी को यह जानने में मदद मिलेगी कि उसके खिलाफ कौन सा कार्य उपेक्षा या चूक अपराध साबित करने का इरादा रखती है।"

"नियम 42 (बी) किसी ऐसे व्यक्ति पर अपराधिक बल का प्रयोग करेगा या हमला करेगा जिसकी अभिरक्षा में उसे विधिपूर्वक रखा गया है चाहे वह व्यक्ति इस अधिनियम के अध्यधीन हो या न हो और चाहे उसका वरिष्ठ आफिसर हो या न हो"

श्री बग्गा ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी द्वारा सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया था और इसलिए डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के साथ साथ जनरल कोर्ट मार्शल में दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करके सही किया था।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार -

13. हमने दोनों काउंसेल द्वारा प्रस्तुत दलीलें नोट की। जब हम उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपने फैसले के पैराग्राफ 19 में कहा है कि जनरल कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों को रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित किया गया था और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए

सजा दी गयी थी। पैराग्राफ 18 में उन्होंने यह भी माना है कि प्रत्यर्थी को अपने मामले में बचाव करने का अवसर दिया गया था और मुकदमे के संचालन में न तो कोई अवैधता थी और न ही उसके साथ कोई अन्याय हुआ था।

14.हालाँकि डिवीजन बेंच ने माना कि पहले प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाया गया एकमा- आरोप यह था कि उसने वाहनों के स्वरूप परिवर्तन की लागत का दावा करने के लिए समाश्रित बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर किए थे लेकिन उसके खिलाफ सदोष अभिलाभ का कोई आरोप नहीं था। हालाँकि डिवीजन बेंच ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि इस प्रतिहस्ताक्षर के कारण प्रत्यर्थी द्वारा कुछ खरीद के लिए 77,692/- रुपये की राशि आहरित की गई जो न तो अधिकृत थी और न ही प्रभावी थी। प्रत्यर्थी के समाश्रित बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करने का तथ्य कभी विवाद में नहीं रहा। अपीलकर्ता ने सेना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई जांच के दौरान आरोपों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर रखे। हमने जांच कार्यवाही के अभिलेख का भी अवलोकन किया गयाए इससे पता चला कि इन राशियों का भुगतान कुछ दुकानों को किया जाना था, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई खरीद नहीं हुई थी। प्रत्यर्थी ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका जिसे स्वीकार किया जा सके। डिवीजन बेंच ने अभिलेख पर मौजूद इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज करके

स्पष्ट रूप से गलती की है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सेना को सदोष हानि हुई है।

15. डिवीजन बेंच ने यह भी माना कि प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप कपट वंचन के आशय के दायरे में नहीं आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कपट वंचन करने के आशय को सिद्ध करने के लिए ऐसे आचरण के परिणामस्वरूप वास्तविक या संभावित, संबंधित हानि होनी चाहिए। धारा 3 (xxv) में कहा गया है कि जो अभिव्यक्तियाँ इस अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं हैं लेकिन भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में संहिता) के तहत परिभाषित हैं उनका वही अर्थ माना जाएगा जो उक्त संहिता में है। इसलिए डिवीजन बेंच ने संहिता की धारा 24 में 'बेईमानी से' और धारा 477ए में 'लेखा का मिथ्याकरण' की परिभाषा पर गौर किया। उस संदर्भ में इस न्यायालय के एक फैसले एस.हरनाम सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (AIR 1976 SC 2140) का उल्लेख किया है। उस मामले में अपीलकर्ता उत्तर रेलवे नई दिल्ली में लोडिंग क्लर्क के रूप में कार्यरत था और उस पर संहिता की धारा 477ए और धारा 120बी सपठित धारा 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विचारण किया गया। धारा 477ए से निपटते समय इस न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 13 में कहा कि इस धारा के तहत अपराध को अंजाम देने के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक यह था कि अभियुक्त ने जानबूझकर और कपट वंचन के आशय से एक विशेष तरीके से कार्य किया था। हालाँकि संहिता में 'कपट वंचन के आशय

से' शब्द की परिभाषा नहीं है। इसलिए इस न्यायालय ने पैराग्राफ 18 में निम्नानुसार टिप्पणी की:-

> "18.....संहिता में 'कपट वंचन के आशय से' शब्द की कोई सटीक और विशिष्ट परिभाषा नहीं है। हालांकि, यह अधिकारियों की एक श्रंखला द्वारा तय किया गया है कि 'कपट वंचन के आशय से' में दो तत्व शामिल है, छल और क्षति। एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने वाला कहा जाता है, जब वह 'suggestio falsi' या 'suppressio veri' या दोनों का अभ्यास करके जानबूझकर दूसरे को उस बात के सच होने पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके बारे में वह जानता है कि वह झूठ है या सच नहीं है। संहिता की धारा 44 में क्षति को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार' '
> प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो "किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो।"

प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में यह नहीं दिखाया गया कि प्रत्यर्थी की ओर से कोई सदोष अभिलाभ प्राप्त किया गया था और इसलिए डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश तथा जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा पारित आदेश में भी हस्तक्षेप किया।

16. यदि हम आरोपों के पाठ को देखें तो आरोपों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रत्यर्थी ने यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उसकी रेजिमेंट इस तरह के अनुदान का दावा करने के लिए अधिकृत नहीं थी, समाश्रित बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करके शुरू में 43 वाहनों के लिए और बाद में 22 वाहनों के लिए अग्रिम दावा किया। इस प्रकार आरोप बहुत स्पष्ट हैं और प्रत्यर्थी किसी भी तरह से नियम 30(4) और नियम 42(बी) का लाभ नहीं उठा सकता है। सेना ने यह साबित करने के लिए अतिरिक्त सबूत पेश किए थे कि यह राशि कुछ दुकानों को दी गई थी, लेकिन वास्तव में आवश्यक खरीद नहीं की गई थी। डॉ. विमला बनाम दिल्ली प्रशासन (AIR 1963 SC 1572) इस न्यायालय के चार न्यायाधीशों की एक पीठ ने संहिता की धारा 464 में परिभाषित मिथ्या दस्तावेज रचने के अपराध पर विचार किया। अपने फैसले के पैराग्राफ 5 में न्यायालय ने कहा कि धारा 464 दो क्रियाविशेषणों 'बेईमानी से और 'कपटपूर्वक' को वर्णित करती है और उन्हें उनके अलग-अलग अर्थ दिए जाने चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि जहां आईपीसी की धारा 24 के तहत परिभाषित 'बेईमानी से' शब्द एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ और दूसरे को सदोष हानि पहुंचाने की बात करता है, वहीं 'कपटपूर्वक' शब्द व्यापक है और इसमें शरीर, दिमाग, प्रतिष्ठा, अन्य बातों के साथ किसी भी प्रकार की क्षति/नुकसान शामिल है। क्षति शब्द में गैर-आर्थिक हानि भी शामिल होगी। इस स्पष्टीकरण से पता चलता है कि 'कपटपूर्वक' शब्द, 'बेईमानी से' शब्द की तुलना में व्यापक है।

न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 14 में प्रस्तावों को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया:-

> "14. संक्षेप में अभिव्यक्ति 'कपट वंचन' में दो तत्व शामिल हैं अर्थात् धोखा और धोखा खाए व्यक्ति को क्षति। क्षति आर्थिक नुकसान के अलावा संपत्ति से वंचित करना चाहे वह चल हो या अचल या धन की और यह इसमें किसी भी व्यक्ति को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या ऐसे अन्य किसी भी प्रकार का नुकसान शामिल होगा। संक्षेप में यह एक गैर आर्थिक या गैर-आर्थिक नुकसान है।''

17. हस्तगत मामले में सेना को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि कुछ खरीद के लिए एक राशि खर्च की गयी थी, जबकि उक्त खरीद अधिकृत नहीं थी। इसके अलावा यह पाया गया कि जो व्यय आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाना था, वास्तव में उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया। अभिलेख पर प्रस्तुत किये गए सबूत इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं कि यह धोखा और क्षति थी। इस न्यायालय द्वारा एस.हरनाम सिंह (सुप्रा) में प्रतिपादित अवधारणा और पूर्व में डा॰. विमला (सुप्रा) में निर्दिष्ट कानूनों के अनुसार यह स्पष्ट था कि अधिनियम की धारा 52 (एफ) लागू होगी, क्योंकि प्रत्यर्थी ने कपट वंचन करने के आशय से कार्य किया था। हम श्री त्रिपाठी की इस दलील को स्वीकार करते हैं कि

धारा 52 (एफ) के दोनों भाग विच्छेदात्मक हैं जिसे इस तथ्य से भी देखा जा सकता है कि इस उप-धारा के दो हिस्सों के बीच एक अल्पविराम और संयोजन' ' (i) कपट वंचन करने के आशय से कोई अन्य कार्य करता है और (ii) एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाता है। यदि विधायिका चाहती कि इन दोनों भागों को एक साथ पढ़ा जाए तो उसने द्वारा 'और' संयोजन का प्रयोग किया गया होता। जैसा कि हमने पहले डॉ. विमला (सुप्रा) मामले में देखा है कि 'कपटपूर्वक' शब्द 'बेईमानी से शब्द से अधिक व्यापक है जिसके लिए सदोष अभिलाभ और सदोष हानि की आवश्यकता होती है। अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थीगण पर कपट वंचन के आशय से कार्य करने का आरोप लगाया था और इसलिए अपीलकर्ताओं के लिए आरोप में धारा 52 (एफ) के दूसरे भाग का उल्लेख करना आवश्यक नहीं था। डिवीजन बेंच द्वारा एस. हरनाम सिंह (सुप्रा) के फैसले पर अपने द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को सही ठहराने की निर्भरता स्पष्ट रूप से गलत थी।

18. प्रत्यर्थी के पास बचाव का पूरा अवसर था। सेना अधिनियम के अनुसार विभिन्न स्तरों पर सभी प्रक्रियाओं और चरणों का पालन किया गया और उसके बाद ही प्रत्यर्थी को बर्खास्त किया गया और एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। गलत इरादे का कोई आरोप नहीं था। यह मानते हुए कि आरोपों में प्रत्यर्थी को गलत तरीके से सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आरोप को विशेष रूप से खारिज नहीं किया गया

था आरोपी ने कपट वंचन के आशय के आरोप को स्पष्ट रूप से समझा और इसके लिये बचाव किया। उसने कार्यवाही में पूरी तरह से भाग लिया और किसी भी प्रक्रियात्मक प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ जिससे उसके प्रति प्रि-ज्यूडिस कारित हुआ हो। न्यायालयों से ऐसी स्थितियों में हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं की जाती है (मेजर जीएस सोढ़ी बनाम भारत संघ 1991(2) एससीसी 382 देखें)। सशस्त्र बल अपनी ईमानदारी और प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से ईमानदार और चरित्रवान होने की अपेक्षा की जाती है। जब किसी वरिष्ठ अधिकारी पर ऐसा कोई आरोप साबित होता है तो सेना की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता है, इसलिए ऐसे कृत्यों में लिप्त किसी भी अधिकारी को अब सेना की सेवाओं में बरकरार नहीं रखा जा सकता है और जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा पारित आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

19. हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीश आदेश पारित करने में सही थे जिसके तहत उन्होंने जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। डिवीजन बेंच के पास अंतरन्यायालय अपील में उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश किसी भी तरह से कानून के विपरीत या विकृत नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर हम कहेंगे कि डिवीजन बेंच ने अपनी अपीलीय शक्ति का प्रयोग करने में स्पष्ट रूप से गलती की है जबकि इसका प्रयोग करने का कोई अवसर या कारण नहीं था।

20. इन परिस्थितियों में, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं, और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हैं। नतीजतन प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की जाती है हालांकि हम प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई जुर्माना लगाने का आदेश नहीं देते हैं।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गीता सारण (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।